



## प्रेस नोट

दिनांक 29.07.2024

### थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा / कारतूस के साथ 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन अपराध नियंत्रण व वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.07.2025 को थाना राठ पुलिस के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 345/2025 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. संजू उर्फ संजय यादव पुत्र संतोष यादव 2. मोना उर्फ मोनू यादव पुत्र महिपाल यादव को आज दिनांक 29.07.2025 को प्रतीक्षालय (पोस्टमार्टम हाउस के पास) कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर से, दोनों अभियुक्त के पास से 01-01 अदद अवैध देशी तमंचे 315 बोर व 01-01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

#### पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 22/23.07.2025 की रात्रि में उनका गुलाम हसन पुत्र कल्लू निवासी छोटी जुलेहटी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसकी शिकायत करने के उद्देश्य से जब वे लोग गुलाम हसन के घर पहुंचे तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, मारपीट में उन्हें भी चोटें आईं, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने फायरिंग की थी।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजू उर्फ संजय यादव पुत्र संतोष यादव निवासी ग्राम बिगवां थाना राठ जिला हमीरपुर (उम्र करीब 22 वर्ष)।
2. मोना उर्फ मोनू यादव पुत्र महिपाल यादव निवासी मुहल्ला दीवानपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 24 वर्ष)।

#### बरामदगी का विवरण-

02 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 जनार्दन प्रताप सिंह
2. उ0नि0 नीरज कुमार
3. आ0 अनूप कुमार
4. आ0 रूपेन्द्र कुमार